e-mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/306/1549 भोपाल, दिनांक 17/02/2025

//आदेश//

कलेक्टर जिला देवास के आदेश क्रमांक–2668 दिनांक 04.10.2024 द्वारा श्री सोहनलाल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति लोहार्दा जिला देवास को कृषि उपज मण्डी समिति, खातेगांव जिला देवास तथा कलेक्टर जिला देवास के आदेश क्रमांक–3313 दिनांक 26.12.2024 द्वारा श्री सोहनलाल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खातेगांव जिला देवास को कृषि उपज मण्डी समिति, देवास जिला देवास कार्य संपादन हेतु पदस्थ किया गया है।

सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक/AGR/18/0016/2024-Sec-2-14(389490) भोपाल दिनांक 16.12.2024 अनुसार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक नियमित निकाय है, जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के निराकरण हेतु राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 प्रभावशील है। मण्डी समिति के सचिव, मण्डी निरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य हैं। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्त/अनुशासिक अधिकारी प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। इसलिए मण्डी कर्मचारी, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अधीन नियंत्रित नही होते हैं।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कलेक्टर देवास, के आदेश क्रमांक–2668 दिनांक 04.10.2024 तथा कलेक्टर जिला देवास के आदेश क्रमांक–3313 दिनांक 26.12.2024 एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर श्री सोहनलाल सचिव–स को अन्य आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पूर्ववत कृषि उपज मण्डी समिति लोहार्दा जिला देवास में सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (स्थापना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/306/1550 भोपाल, दिनांक 17/02/2025

प्रतिलिपि :– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. कलेक्टर देवास, जिला देवास।
4. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, लोहार्दा/खातेगांव/देवास जिला देवास।
6. श्री राजेश कुमार साकेत, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति देवास जिला देवास की ओर पालनार्थ।
7. श्री सोहनलाल सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लोहार्दा जिला देवास की ओर पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/वि.जॉच/शिकायत/गो.च./कम्प्यूटर शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

संयुक्त संचालक (स्थापना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल